ए.

जी. ई. टी. रैम

बनाम

नार्कोटिक्स कंट्रोल बुरयू, चंडीगढ़ (2013 की आपराधिक अपील No.688)

बी.

15 सितंबर, 2020

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-एस. एस.20, 50 और 54-अपीलार्थी पर यू/एस आरोप लगाया गया था।20 – निचली विचारण न्यायालय द्वारा बरी-उच्च न्यायालय द्वारा दोषी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःविचारण विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत हैं -एस. 50 केवल व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होता है-निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के लिए कोई आधार नहीं है कि यू/एस के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।50 – अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भरोसेमंद होते हैं और इन्हें अप्राकृतिक और असंभव नहीं कहा जा सकता है-पी. डब्ल्यू.-1 या पी. डब्ल्यू.-2 को नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया था-यह अपील अदालतों के लिए हमेशा खुला रहता है कि वे उन सबूतों की फिर से सराहना करें, जिन पर बरी होने का आदेश स्थापित होता है और उन्हें समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की शक्तियां निहित होती हैं-इसके अलावा, अपीलार्थी मंदिर के पास अपनी पत्नी के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए ढाबा के काउंटर पर था और ढाबा के काउंटर में चरस एक बोरे में पाया गया था-उसे चरस पर न केवल प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण था, बल्कि उसकी उपस्थिति और चरित्र की जानकारी थी-कब्जे की व्याख्या करने की जिम्मेदारी उस पर थी।54 यह भी लागू होगा-उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई कमजोरी नहीं है-हालांकि, तथ्यों के आधार पर सजा को 15 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है-साक्ष्य-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.313।आपराधिक मुकदमा-बरी किए जाने के खिलाफ अपील-अपीलीय अदालतों की शक्ति-चर्चा की गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"कब्ज़ा"-1985 के अधिनियम-चर्चा-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के संदर्भ में।

एच.

558

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ ए

559

ए.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत हैं और निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने ठीक ही इसमें हस्तक्षेप किया और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज किए।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा **50** केवल व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होती है, जैसे कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का कोई आधार नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा **50** के तहत प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। पीडब्लू**-4;** पीडब्लू**-3;** पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** के बयान सुसंगत और भरोसेमंद हैं और इन्हें अप्राकृतिक और असंभव नहीं कहा जा सकता है।पीडब्लू**-1** या पीडब्लू**-2** में छेड़छाड़ का कोई सुझाव नहीं था।अपीलीय न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है, और अपीलीय न्यायालयों को समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्तियां निहित हैं। अपीलार्थी ढाबा के काउंटर पर था जो मंदिर के पास उसकी पत्नी के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाया गया था और चरस ढाबा के काउंटर में एक बोरे में पाया गया था।अभियुक्त का चरस पर न केवल प्रत्यक्ष शारीरिक नियंत्रण था, बल्कि उसे इसकी उपस्थिति और चरित्र का ज्ञान था। मोहन लाल के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कब्जे को एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करने और समझने में एक कार्यात्मक और लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और इस शब्द को अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए।किसी भी बचाव पक्ष के गवाह ने घटनाओं की श्रृंखला में गवाही नहीं दी है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा धारा **313, Cr.PC** के तहत बयान में कहा गया है। जहां आरोपी धारा **313 Cr.PC** के तहत परीक्षा में गलत जवाब देता है, उसी का उपयोग उसके खिलाफ भी

किया जा सकता है।इसके अलावा अपीलार्थी पर कब्जे की व्याख्या करने की जिम्मेदारी थी और उसे बरी किए जाने के अभाव में**,** एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम की धारा **54** के तहत अनुमान भी लागू होगा।उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं होती है ताकि दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष **2001** में हुई थी और जैसा कि अपीलार्थी ने मंदिर में पुजारी होने का दावा किया था**,** जिसकी आयु अब लगभग **65** वर्ष है**,** अपीलार्थी को दी गई सजा को घटाकर **10 (**दस**)** वर्ष की अवधि कर दिया गया है**,** जबकि उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और दंड को बनाए रखा गया है।**[**पारस **10-13] [567-C-D; 568-C, G; 570-G-H; 571-A-F]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

560 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

संवत सिंह और अन्य बनामराजस्थान राज्य **[1961] 3** एस**.** सी**.** आर**. 120;** दामोदरप्रसाद चंद्रिकाप्रसाद बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1972) 1 एस. सी. सी. 107:[1972] 2 एससीआर

622; विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य **(2015) 3** एससीसी

138 :[2015] 1 एस. सी. आर. 328; मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 222:[2015] 5 एससीआर 435; एच. पी. बनाम राज्यपवन कुमार (2005) 4 एससीसी 350:[2005] 3 एस. सी. आर. 417-पर निर्भर।

बी.

भारत संघ बनाम बाल मुकुंद और अन्य। **(2009) 12** एससीसी **161:[2009] 5** एससीआर **205;** फ्रांसिस स्टेनली बनाम खुफिया अधिकारी**,** स्वापक नियंत्रण ब्यूरो**,** तिरुवनंतपुरम

सी.

(2006) 13 एससीसी **210:[2006] 10** पूरक।एससीआर **977;**

रंगैया बनाम कर्नाटक राज्य **(2008) 16** एस**.** सी**.** सी**. 737:[2008] 17** एससीआर **396;** जगदीश बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(2003) 9** एस**.** सी**.** सी **159;** ज्ञान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1995)** सप**.4 658;** गोपाल बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(2002) 9** एस**.** सी**.** सी**. 595** पंजाब राज्य बनाम बलकार सिंह और अन्र। **(2004) 3** एससीसी **582: [2004] 3** एससीआर **25;** के**.** मोहनन बनाम केरल राज्य **(2000) 10** एससीसी **222;** धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य

डी.

(2010) 9 एससीसी 608:[2010] 10 एससीआर 1160; बलदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2015) 17 एससीसी 554:[2015] 12

एससीआर **969;** मदन लाल और अन्र**.** वी**.**एच**.** पी**.** राज्य **(2003) 7**

ई.

एससीसी **465:[2003] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 716-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2009] 5 एससीआर **205**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2006] 10 पूरक।पैरा **7 [2008] 17** एस**.** सी**.** आर**. 396** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 977**

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

(2003) 9 एससीसी **159**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

(1995) 4 सप**.**एस**.** सी**.** सी**. 658**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

(2002) 9 एस**.** सी**.** सी**. 595**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

जी.

[2004] 3 एससीआर **25**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

(2000) 10 एससीसी **222**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

(1961) 3 एससीआर **120**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[1972] 2 एससीआर **622**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8** ए

एच.

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ ए

561

[2015] 1 एससीआर **328**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[2010] 10 एससीआर **1160**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2015] 12 एससीआर **969**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2003] 2 पूरक।एससीआर **716**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

बी.

[2015] 5 एससीआर **435**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[2005] 3 एससीआर **417**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2013 की आपराधिक अपील संख्या 688।

सी.

2003 की आपराधिक अपील संख्या 493 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.12.2012 और 31.12.2012 के निर्णय और आदेश से।

अमन लेखी, एएसजी, के. एस. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, राजीव कुमार, रवि चंद्र प्रकाश, मुकेश कुमार सिंह, अमित, सुश्री वाणी व्यास, हरीश पांडे, निखिल रोहतगी, बीवी बलरामदास, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर**.** सुभाष रेड्डी**,** जे**.**

1. यह अपील एकमात्र अभियुक्त द्वारा 2001 के सत्र परीक्षण सं. 7-5/2002 में सत्र न्यायाधीश, शिमला की फाइल पर दायर की गई है, जो दिनांक 11.12.2012 के दोषसिद्धि के फैसले और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा 2003 की आपराधिक अपील No.493 में पारित अपीलार्थी को सजा सुनाने के अगले आदेश से व्यथित है।

ई.

2. अपीलार्थी-अभियुक्त पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम') की धारा 20 के तहत दंडनीय आरोप के लिए मुकदमा चलाया गया था।सत्र न्यायाधीश, शिमला ने दिनांक आई. डी. 1 के निर्णय द्वारा अभियुक्त को यह निष्कर्ष दर्ज करके बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं था और अभियोजन पक्ष के मामले में यह मानने के लिए कई खामियां थीं कि अभियुक्त को चरस के कब्जे में पाया गया था, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था।

एफ.

जी.

3. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला, संक्षेप में कहा गया है,

इसके अंतर्गतः

आई. डी. 1 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन. सी. बी.), चंडीगढ़ में खुफिया अधिकारी आर. पी. सिंह (पी. डब्ल्यू.-4) थे।

एच.

शिमला से थियोग की ओर बढ़ना।वह पीडब्लू-3-ओ. पी. भट्ट और अन्य अधिकारियों के साथ यात्रा कर रहे थे।पारगमन में वे भोजन करने के लिए ढाबा पर रुके जो नंगला देवी मंदिर के पास था।जब उन्होंने भोजन और चाय का ऑर्डर दिया और भोजन परोसे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो खुफिया अधिकारी को चरस की गंध आ रही थी।इस बीच, एन. सी. बी., चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक-राकेश गोयल, जिनसे पी. डब्ल्यू.-1 के रूप में पूछताछ की गई थी, भी उक्त ढाबा पहुंचे।फिर उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त से चरस की गंध के बारे में पूछताछ की और इस तरह की पूछताछ पर वह घबरा गया।इस तरह से एन. सी. बी. के अधिकारियों का संदेह बढ़ गया। ढाबा के मालिक से पूछने पर उसने अपना नाम जीत राम बताया और आगे की पूछताछ पर उसने भागने की कोशिश की।फिर उसे पकड़ लिया गया और ढाबा के काउंटर पर ले जाया गया।

ढाबा के काउंटर के ठीक नीचे एक बोरे का थैला मिला।जब पूछा गया, तो अपीलार्थी ने जवाब दिया-इसमें कुछ भी नहीं है।फिर आरोपी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया गया और अपीलार्थी ने एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा उसी की तलाशी लेने के लिए सहमति दी।इसके बाद थैले की तलाशी ली गई और अधिकारियों को 13 किलोग्राम चरस मिला।चरस को साढ़े छह किलोग्राम के दो भागों में विभाजित किया गया था और दो पैकेट बनाए गए थे जिन्हें क्रमशः 'एक्स' और 'वाई' के रूप में चिह्नित किया गया था।इनमें से प्रत्येक पैकेट से 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए।पैकेट से लिए गए नमूनों-मार्क 'एक्स'-को 'एक्स 1' और 'एक्स 2' के रूप में चिह्नित किया गया था और पैकेट से लिए गए नमूनों-मार्क 'वाई'-को 'वाई 1' और 'वाई 2' के रूप में चिह्नित किया गया था।इसके बाद सभी चार नमूनों को हीट सीलिंग प्रक्रिया द्वारा एक पॉलीथीन बैग में सील कर दिया गया और कागज के लिफाफों में डाल दिया गया और कागज की मुहरों से सील कर दिया गया, जिन पर एन. सी. बी. के अधिकारियों के साथ-साथ अपीलकर्ता-आरोपी जीत राम ने हस्ताक्षर किए थे। प्रत्येक नमूने पर मुहर सं।6 एन. सी. बी. की राशि चारों कोनों पर चिपकाई गई थी और 'एक्स' और 'वाई' पैकेटों में थोक चरस को छह-छह मुहरों के साथ कागज के पार्सल में सील कर दिया गया था।मुहरों को पीडब्लू-1 को सौंप दिया गया और सभी नमूनों और पार्सल पर एन. सी. बी. के अधिकारियों और अभियुक्तों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।इसके अलावा, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि वह अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कारणों से चरस के व्यापार में लिप्त था।इसके बाद एक पंचनामा तैयार किया गया जिस पर अपीलार्थी ने हस्ताक्षर किए और उसे 19.06.2001 पर गिरफ्तार कर लिया गया।'एक्स 1' और 'वाई 1' के दो नमूनों को एक पत्र के साथ पीडब्लू-2 हयात सिंह के माध्यम से रासायनिक विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजा गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों नमूने चरस के थे।उक्त आधार पर, अपीलार्थी-अभियुक्त पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध के लिए आरोप लगाया गया और चालान किया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

ए.

4. जब अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस पर सत्र न्यायाधीश, शिमला के समक्ष उपरोक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है।अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल चार गवाहों से पूछताछ की है।अभियुक्त की ओर से मौखिक साक्ष्य यह दिखाने के लिए दिया गया था कि विचाराधीन ढाबा उसके द्वारा नहीं चलाया जा रहा था और वह पास के मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत था।अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, निचली विचारण न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के फैसले द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त को मुख्य रूप से इस आधार पर बरी कर दिया कि-अभियोजन पक्ष का मामला किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं था; अभियोजन पक्ष यह दिखाने में विफल रहा है कि जब्त किए गए चरस को अपीलकर्ता-अभियुक्त के ढाबों से बरामद किया गया था और आगे यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त के पास चरस था, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया था; एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था; क्योंकि नमूने पी. डब्ल्यू.-1 राकेश गोयल को सौंपे गए थे, जिन्होंने खुद पी. डब्ल्यू.-2 को नमूना दिल्ली में केंद्रीय प्रयोगशाला में ले जाने के लिए दिया था और ये मुहरें निदेशक के पास रह गईं।

बी.

सी.

डी.

5. निचली विचारण न्यायालय के फैसले से व्यथित, एन. सी. बी., चंडीगढ़ ने 2003 की आपराधिक अपील No.493 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 सहपठित एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36-बी के तहत अपील दायर की है।उच्च न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और यह भी साबित कर दिया है कि अपीलार्थी -अभियुक्त के कब्जे से 13 किलोग्राम चरस बरामद किया गया था, जो विचाराधीन ढाबा का प्रबंधन कर रहा था, और निचली विचारण न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने का आदेश दिया। अपीलार्थी की आगे की सुनवाई करके, 31.12.2012 दिनांकित आदेश पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी -अभियुक्त को 15 साल के लिए सश्रम कारावास और रु. 2,00,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई- और चूक में, एक साल के अतिरिक्त कारावास से गुजरना पड़ा।उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि और दी गई सजा से व्यथित होकर, यह अपील अभियुक्त द्वारा दायर की जाती है।

ई.

एफ.

जी.

6. हमने अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी और प्रतिवादी-एन. सी. बी. की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी को विद्वान है।

एच.

7. मुख्य रूप से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि निचली विचारण न्यायालय के अपीलार्थी को आरोप से बरी करने के सुविचारित फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा ठोस कारण दर्ज किए बिना उलट दिया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण था, और यह मानते हुए भी कि अन्य दृष्टिकोण संभव है, यह निचली विचारण न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क के समर्थन में संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा है।

बी.

भारत बनाम बाल मुकुंद और अन्य। **1.** फ्रांसिस स्टेनली बनाम खुफिया अधिकारी**,** स्वापक नियंत्रण ब्यूरो**,** तिरुवनंतपुरम **2;** और

रंगैया बनाम कर्नाटक राज्य 3.इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की कहानी स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गाँव के घर ढाबा के स्थान से केवल 500 मीटर की दूरी पर थे।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को आरोप का दोषी ठहराने के लिए आधिकारिक गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में त्रुटि की है।यह निवेदन करते हुए कि आधिकारिक गवाहों की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, किसी भी स्वतंत्र गवाह के अभाव में, विद्वान अधिवक्ता ने जगदीश बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

सी.

डी.

एम**.** पी**. 4** का राज्य और ज्ञान सिंह और अन्य बनामउत्तर प्रदेश राज्य **5.**यह भी है

विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी-अभियुक्त जब्त की गई सामग्री/चरस के अनन्य और सचेत कब्जे में था, उतना ही ढाबा के काउंटर के पास पड़े बोरे से जब्त किया गया था।उक्त याचिका के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

ई.

गोपाल बनाम एमपी **6** राज्य और पंजाब राज्य बनाम बलकार के मामले में

सिंह और अन्र। **7.**इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी को जारी किया गया तलाशी नोटिस एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम की धारा **50** के अनुसार नहीं था और के**.** मोहनन बनाम केरल राज्य **8** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था। यह दलील देते हुए कि बचाव पक्ष के गवाह की गवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया था**,** विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निर्णय को अपास्त करनाने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है

एफ.

1 (2009) 12 एस. सी. सी. 161 2 (2006) 13 एस. सी. सी. 210 3 (2008) 16 एस. सी. सी. 737 4 (2003) 9 एस. सी. सी. 159 5 1995 सप।(4) 658 6 (2002) 9 एससीसी 595 7 (2004) 3 एससीसी 582 8 (2000) 10 एससीसी 222 ए

जी.

एच.

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

565

उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करता है और अपीलार्थी को बनाए गए आरोप से बरी कर देता है।अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में रुपये के जुर्माने के साथ 15 साल के सश्रम कारावास की सजा-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अपीलार्थी की उम्र को ध्यान में रखते हुए आरोप की गंभीरता के लिए अत्यधिक और असमान है।इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह ढाबा के पास स्थित मंदिर में पुजारी है।

बी.

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-एन. सी. बी. की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी का तर्क है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए विद्वान निष्कर्ष गलत हैं और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत हैं, इसलिए यह हमेशा उच्च न्यायालय के लिए सबूतों की पुनः सराहना करने और निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिए विद्वान इस तरह के गलत दृष्टिकोण

को अपास्त करनाने के लिए खुला है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, केवल अनुमानों और अनुमानों पर निचली विचारण न्यायालय ने पाया है कि अभियोजन पक्ष का मामला अप्राकृतिक है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से पलट दिया गया है।आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना लगभग 10 बजे हुई थी:30 ढाबा, जो वास्तविक ग्राम स्थल से दूर है, केवल इसलिए कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह माना जाता है कि ढाबा उसकी पत्नी द्वारा चलाया जा रहा था, जो मंदिर के पास है।चूंकि अपीलार्थी प्रासंगिक समय के दौरान काउंटर पर था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चरस की जब्त की गई सामग्री उसके सचेत कब्जे से जब्त नहीं की गई थी।विभिन्न दलीलों का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा विद्वान ।

सी.

डी.

ई.

o अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि अपीलीय न्यायालयों को साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्तियां हैं, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है और वे अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

एफ.

1. संवत सिंह और अन्य बनामराजस्थान राज्य **9**

2. दामोदरप्रसाद चंद्रिकाप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य 10

जी.

3. विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य **11**

9 (1961) 3 एस. सी. आर. 120 10 (1972) 1 एस. सी. सी. 107 11 (2015) 3 एस. सी. सी. 138

एच.

o अपने इस तर्क के समर्थन में कि केवल इसलिए कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की जाती है, अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा विद्वान हैः

1. धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य **12 2.**बलदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य **13**

बी.

o अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि अपीलार्थी के सचेत कब्जे से चरस जब्त कर लिया गया था, विद्वान ए. एस. जी. ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा हैः

1. मदन लाल और अन्र**.** वी**.**राज्य एच**.** पी**. 14 2.**मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य **15**

सी.

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, अधिरोपित सजा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है। इसलिए, अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख के अवलोकन पर, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं, सिवाय सजा की मात्रा पर प्रस्तुत करने के।

डी.

10. मुख्य रूप से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय/अपीलीय न्यायालय केवल इसलिए कि दूसरा दृष्टिकोण संभव है, निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने इस तर्क के समर्थन में कि केवल इसलिए कि एक और दृष्टिकोण संभव है, यह अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, विद्वान अधिवक्ता ने बाल मुकुंद 1; फ्रांसिस स्टेनली 2; और रंगैया 3 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।उक्त निवेदन का प्रतिवाद करने के लिए, विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी ने प्रस्तुत विद्वान है कि यह अपील न्यायालय के लिए हमेशा खुला है कि वह रिकॉर्ड पर साक्ष्य की समीक्षा करे जिस पर बरी करने का आदेश स्थापित विद्वान गया है और यदि यह निष्कर्ष पर आता है कि निचली न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत और अनुचित है, तो अपील न्यायालय के लिए बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा खुला है।यह तर्क दिया जाता है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है

ई.

एफ.

जी.

12 (2010) 9 एससीसी 608 13 (2015) 17 एससीसी 554 14 (2003) 7 एससीसी 465 15 (2015) 6 एससीसी 222 ए

एच.

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

567

अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए।इस तरह के गलत निष्कर्ष को अपीलीय न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है।अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने संवत सिंह 9; दामोदरप्रसाद चंद्रिकाप्रसाद 10 और विनोद कुमार 11 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा विद्वान है।यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भर किए गए निर्णयों में निर्धारित अनुपात यह है कि अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि एक और दृष्टिकोण संभव है, लेकिन साथ ही यह भी कि क्या बरी किए जाने के समर्थन में निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष वैध हैं या नहीं, एक ऐसा मामला है जिस पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के संदर्भ में विचार किया जाना है।अभियोजन पक्ष की ओर से और साथ ही अभियुक्त की ओर से जांचे गए गवाहों के बयानों की बारीकी से जांच करने पर, हमारा विचार है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत हैं और निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने ठीक ही इसमें हस्तक्षेप किया और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज किए। निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मुख्य रूप से इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं था; सचेत कब्जा साबित नहीं हुआ था; एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था; नमूनों को जांच के लिए भेजने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष का मामला अप्राकृतिक और असंभव था।जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, यह न्यायालय एच. पी. बनाम राज्य के मामले में।पवन कुमार 16 ने कहा है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होती है, इसलिए निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का कोई आधार नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। यहां तक कि निचली विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष के संबंध में कि अभियोजन पक्ष का मामला स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं था, रिकॉर्ड पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना लगभग 10 बजे हुई थी:30 शाम को गाँव की जगह से दूर एक ढाबा में और ढाबा में पाए जाने वाले अन्य सभी व्यक्ति अभियुक्त के नौकर थे।अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से पूछताछ किए गए सुरेश कुमार और अत्तार सिंह अभियुक्तों के निकट संबंधी हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र गवाह नहीं कहा जा सकता है।पप्पु एकमात्र अन्य व्यक्ति था जो और कोई नहीं बल्कि

ढाबा का सेवक था और हम ऐसे व्यक्ति से अपने ही स्वामी के खिलाफ गवाह होने की उम्मीद नहीं कर सकते।सचेत कब्जे के मुद्दे से निपटने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ढाबा उस भूमि पर बनाया गया है जो कौशल्या देवी की है जो कोई नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

16 (2005) 4 एससीसी 350

568

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

अभियुक्त की पत्नी के अलावा।आगे अभिसाक्ष्य में पीडब्लू-4 ने कहा है कि जब आरोपी से पूछा गया कि ढाबा का मालिक कौन था, तो उसने मालिक होने का दावा किया।अभियोजन पक्ष के मामले को निचली विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर अप्राकृतिक और असंभव पाया कि 13 किलोग्राम चरस एक बोरे में खुले में पड़ा था।निचली विचारण न्यायालय ने पाया कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में चरस को खुली स्थिति में रखेगा।अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एन. सी. बी. के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि विचाराधीन क्षेत्र में चरस की तस्करी चल रही थी।पुलिस के दो दल थियोग के लिए रवाना हो गए थे-पीडब्लू-4 आर. पी. सिंह के नेतृत्व में एक दल पहले शुरू हुआ और पीडब्लू-1 राकेश गोयल के नेतृत्व में दूसरा दल थोड़ी देर बाद शिमला से रवाना हुआ।इस प्रकार पीडब्लू-4 आर. पी. सिंह के बयान; पीडब्लू-3 ओ. पी. भट; पीडब्लू-1 राकेश गोयल और पीडब्लू-2 हयात सिंह सुसंगत और भरोसेमंद हैं और उन्हें अप्राकृतिक और असंभव नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचली विचारण न्यायालय ने कहा है कि जिस मुहर से नमूने और शेष चरस को सील किया गया था, उसे पीडब्लू-1 राकेश गोयल को सौंप दिया गया था, जिन्होंने खुद दिल्ली में केंद्रीय प्रयोगशाला में ले जाने के लिए पीडब्लू-2 को नमूना दिया था और चूंकि मुहर निदेशक के पास रह गई थी, इसलिए छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।इस संबंध में, यह ध्यान

दिया जाना चाहिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ही कहा है कि निचली विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि 19.06.2001 JMIC पर, थियोग ने नमूनों के साथ-साथ थोक पार्सल पर भी अपने हस्ताक्षर किए थे और इसलिए, नमूनों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी।इसके अलावा, पीडब्लू-1 राकेश गोयल या पीडब्लू-2 हयात सिंह को छेड़छाड़ का कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

11. उपरोक्त कारणों से, हमारा स्पष्ट विचार है कि अभिलेख पर साक्ष्य और अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत गलत तरीके से दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव नहीं था, जिसे उच्च न्यायालय ने सही ढंग से अपास्त करना दिया था।जैसा कि अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत विद्वान गया है, यह हमेशा अपीलीय न्यायालय के लिए सबूत की पुनः सराहना करने के लिए खुला है, जिस पर बरी करने का आदेश स्थापित विद्वान गया है, और अपीलीय न्यायालयों को समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की शक्तियां निहित हैं।संवत सिंह 9; दामोदरप्रसाद चंद्रिकाप्रसाद 10 और विनोद कुमार 11 के मामले में दिए गए निर्णय भी प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन करते हैं।विनोद कुमार 11 के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 17 और 18 का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार हैः

एफ.

जी.

एच.

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

569

ए.

“17. इससे पहले कि हम इस तथ्य पर ध्यान दें कि क्या अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि के लिए मामले को साबित किया है, हम समझते हैं कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित सिद्धांतों को दोहराना उचित है।इस संदर्भ में, जदुनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1971) 3 एस. सी. सी. 577 के एक अंश को पुनः प्रस्तुत करते हुएः1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 726] लाभदायक होगाः(एस. सी. सी. पी. 582, पैरा 22)

बी.

“22. इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय को बड़े पैमाने पर सभी साक्ष्यों की समीक्षा करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी शक्ति है कि उस साक्ष्य पर बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया जाना चाहिए।बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की यह शक्ति प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट [(1933-34) 61 IA 398 में तैयार की गई थीः(1934) 40 एलडब्ल्यू 436:ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2)] और नूर मोहम्मद बनाम राजा सम्राट [(1945) 58 एल. डब्ल्यू. 481:ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 151]।इन दोनों निर्णयों को इस न्यायालय के निर्णयों में लगातार आपराधिक अपीलों की सुनवाई में अपीलीय न्यायालय की शक्ति के वास्तविक दायरे को निर्धारित करने के रूप में संदर्भित किया गया हैःसूरजपाल सिंह बनाम राज्य [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 52:1952 श्री एल. जे. 331] और संवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715:(1961) 1 क्री एलजे 766]।”

सी.

डी.

ई.

दामोदरप्रसाद में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

चंद्रिकाप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1972) 1 एस. सी. सी. 107:1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 110], शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम राज्य

महाराष्ट्र [(1973) 2 एससीसी 793:1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1033], कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्ण [(2005) 9 एस. सी. सी. 291:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1237], अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2004) 13 एस. सी. सी. 257:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 178], गिरजा प्रसाद बनाम एम. पी. राज्य [(2007) 7 एस. सी. सी. 625:(2007) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 475] और एस. गणेशन बनाम राम रघुरमन [(2011) 2 एस. सी. सी. 83:(2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 607]18. इस संबंध में, हम फलदायी रूप से खुद को इन सिद्धांतों की याद दिला सकते हैं

एफ.

जी.

चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [(2007) 4 एस. सी. सी.

415 :(2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 325]:(एस. सी. सी. पी. 432, पैरा 42) "42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैंः

एच.

570

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) न्यायालय प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

बी.

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की न्यायालय की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं।

सी.

डी.

(4) हालाँकि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोष होने का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता।दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली विचारण न्यायालय द्वारा और मजबूत, पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

ई.

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।"

एफ.

उपरोक्त कारणों से, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति को अस्वीकार करते हैं।यहां तक कि अपीलार्थी की याचिका के संबंध में भी कि अभियोजन पक्ष की ओर से रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी -अभियुक्त जब्त की गई सामग्री के सचेत कब्जे में था, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ढाबा के काउंटर पर था जिसका निर्माण मंदिर के पास उसकी पत्नी के स्वामित्व वाली भूमि पर किया गया था और चरस ढाबा के काउंटर में एक बोरे में पाया गया था।मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अभियुक्त के पास न केवल प्रत्यक्ष ए था

जी.

एच.

जीत राम बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, चंडीगढ़ [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

571

चरस पर शारीरिक नियंत्रण, उन्हें इसकी उपस्थिति और चरित्र का ज्ञान था।जैसा कि श्री अमन लेखी द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया था, मोहन लाल 15 के मामले में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय ने कहा था कि कब्जे को एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करने और समझने में एक कार्यात्मक और लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और इस शब्द को अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में, हालांकि अपीलार्थी ने एक संस्करण के समर्थन में बृज लाल और मंटू का उल्लेख किया है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान के विपरीत है, लेकिन उसने बृज लाल या मंटू में से किसी से भी पूछताछ करने का विकल्प नहीं चुना है।बचाव पक्ष के किसी भी गवाह ने घटनाओं की श्रृंखला में गवाही नहीं दी है, जैसा कि अपीलार्थी ने धारा 313, Cr.PC के तहत बयान में कहा है। यह भी काफी हद तक तय है कि जहां आरोपी धारा 313 Cr.PC के तहत परीक्षा में गलत जवाब देता है, उसी का उपयोग उसके खिलाफ भी किया जा सकता है।इसके अलावा अपीलार्थी पर कब्जे की व्याख्या करने की जिम्मेदारी थी और उसे बरी किए जाने के अभाव में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमान भी लागू होगा।

बी.

सी.

12. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है ताकि दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।

डी.

13. साथ ही हम अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता को 15 साल के सश्रम कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाने में बल पाते हैं।मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 2001 में हुई थी और जैसा कि अपीलार्थी ने मंदिर में पुजारी होने का दावा किया था, जिसकी आयु अब लगभग 65 वर्ष है, हम यह उचित समझते हैं कि अपीलार्थी पर लगाए गए दंड को संशोधित करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और दंड को बनाए रखते हुए, अपीलार्थी को दी गई सजा को घटाकर 10 (दस) वर्ष की अवधि कर दिया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.12.2012 के सजा के आदेश में संशोधन किया गया है।ऊपर बताए गए हद तक अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

ई.

एफ.

जी.

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

एच.